

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**आवश्यक सूचना**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु आमंत्रित आवेदन के अभ्यर्थियों की औपबंधिक/प्रतीक्षा सूची/अविचारण सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों इत्यादि का भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक-09.07.2020 से दिनांक-11.07.2020 तक मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम, हज भवन, पटना में निर्धारित की गयी थी।

2. किन्तु राज्य में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक-5604 दिनांक-08.07.2020 द्वारा पटना जिला को दिनांक-10.07.2020 से 16.07.2020 तक लॉक डाउन किये जाने के कारण दिनांक-10.07.2020 एवं 11.07.2020 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।

3. अतएव निम्नांकित कार्यक्रम एवं तिथि के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के औपबंधिक/प्रतीक्षा सूची/अविचारण सूची के अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्रों आदि का भौतिक सत्यापन मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम, हज भवन, पटना में पुनर्निर्धारित किया गया है:-

क्र० सं०	पदनाम	आरक्षण कोटि	Counselling की निर्धारित तिथि समय
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता (असैनिक)	औपबंधिक रूप से चयनित अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (महिला)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति (महिला)/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों की महिला (BCW) से संबंधित सभी अभ्यर्थी प्रतीक्षारत सूची/अविचारण सूची में शामिल सभी कोटि के अभ्यर्थी	12.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक 13.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	प्रतीक्षारत सूची/अविचारण सूची में शामिल सभी कोटि के अभ्यर्थी	12.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
3.	कनीय अभियंता (विद्युत)	प्रतीक्षारत सूची/अविचारण सूची में शामिल सभी कोटि के अभ्यर्थी	12.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

4. साथ ही कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-09.07.2020 एवं उपरोक्त निर्धारित तिथि को कतिपय कारणों से counselling नहीं करा पाए, वैसे छूटे हुए सभी अभ्यर्थी दिनांक-13.08.2020 को उपरोक्त निर्धारित स्थल पर प्रमाण-पत्रों आदि का भौतिक सत्यापन करा सकेंगे।

5. प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथि को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपने साथ आनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- (i) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र,
- (ii) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र,
- (iii) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो Online आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो,

(iv) अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए),

(v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र (EWS Certificate) (जिसपर लागू हो),


(vi) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (BC/EBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए),

(vii) जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण-पत्र (जिसपर लागू हो),

(viii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए),

(ix) Online आवेदन की प्रति।

6. प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन के क्रम में Online आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों/सूचनाओं से भिन्नता पाया जाता है तो उन का अभ्यर्थित्व (candidature) रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

  
06.8.2020  
(राम शंकर प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।